कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र से प्रदेश में आने वाले लोगों की कोरोना जांच आवश्यकः राज्यपाल

रायपुर (आरएनएस)। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जनजागरण में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करें। राज्यपाल आज राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के संबंध में विचार विमर्श के लिए आयोजित सर्वदलीय वर्चुअल बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य से आए लोगों की जांच किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य की सीमा पर प्रबंध किया जाना चाहिए और क्वारेंटाईन सेंटर बनाए जाने चाहिए। उन्होंने रेमडेसीविर इंजेक्शन के उचित उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत बताई। राज्यपाल ने कहा कि अकेली राज्य सरकार के लिए कोरोना महामारी से निपटना काफी कठिन है। इस महामारी से निपटना हम सब का सामूहिक दायित्व और कर्तव्य है। हम सभी एकजुट होकर इस संकट से उबरने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक राहत और सुविधाएं पहुंचाने में राजनीतिक दल शासन-प्रशासन के साथ मिलकर काम करें। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संकट के इस समय में मानव जीवन को बचाने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को जल्द से जल्द टेस्ट कराने के लिए जागरूक करें। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नही आ जाती, तब तक संक्रमित व्यक्ति स्वयं को आइसोलेट रखें और रिपोर्ट आने के बाद इलाज प्रारंभ करें। उन्होंने लोगों को मास्क का उपयोग करने, फिजिकल डिस्टेंस और हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखने के संबंध में भी जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शासकीय अस्पतालों में मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुषमान योजना से इलाज कराने वाले लोगों पर कम से कम आर्थिक बोझ पड़े, इसके लिए टेस्ट और इलाज की दरें निर्धारित की गई हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के ऑक्सीजन प्लांट में उत्पादित होने वाली 80 प्रतिशत ऑक्सीजन का उपयोग छत्तीसगढ़ में ही हो। उद्योगों को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए चार लाईसेंस जारी किए गए हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

बड़े भाई ने छोटे भाई की धारदार हथियार से की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद (आरएनएस)। सराईपाली सिघोड़ा थाना अंतर्गत ग्राम मुरमुरी में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है दोनों के बीच कुछ घरेलू विवाद था। हत्या के बाद फरार आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे ग्राम मुरमुरी निवासी सुभाष पिता चित्रसेन बरिहा (22) की उसके बड़े भाई बिरेश बरिहा (24) ने घरेलू विवाद में बसूला (बढ़ाई औजार) से पीठ पर वार कर दिया । गंभीर रूप से घायल सुभाष को 112 की सहायता से सरायपाली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। बहरहाल सिंघोड़ा पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस सूचना पर चित्रसेन बरिहा के घर पहुंचा जहां पर चित्रसेन का बडा लडका बिरेश बरिहा अपने ही छोटे भाई सुभाष बरिहा को बसुला से वार कर चोट पहुंचाया था। जिसे उसके परिजनों द्वारा 112 वाहन में ईलाज हेतु सरायपाली शासकीय अस्पताल ले गये जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने धारा 302 भा0द0वि0 तैयार कर शव का पंचनामा कार्यवाही किया

लॉक डाउन में लोकल बसों के परिचालन पर प्रशासन ने लगाई रोक

अंबिकापुर (आरएनएस)। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरगुजा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने सभी लोकल बसों के परिचालन पर रोक लगा दी है। जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जिले के अंदर चलने वाली सभी बसें बंद रहेंगी। हालांकि प्रशासन ने अंतर्राज्यी बसों को छूट दी है।

तेज रफ्तार कार की ठोकर से आई 20 कार क्षतिग्रस्त,चालक के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। तेज रफ्तार कार चालक ने आई 20 कार को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की शिकायत खम्हारडीह थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार न्यू शान्तिनगर सिविललाईन निवासी धमेन्द्र कुमार राणा 59 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 8 अप्रैल को अंवति विहार सिल्वर स्प्रिंग के पास तेज रफ्तार कार क्रमांक सीजी 04 एमजेड 5009 का चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से गाड़ी चलाकर आई 20 कार क्रमांक सीजी 04 एचवाय 2919 को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ धारा 279 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

बस में चढ़ते समय युवक आया चक्के के नीचे,चालक के खिलाफ अपराध दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। बस चालक के लापरवाही के चलते एक व्यक्ति बस में चढ़ते समय चक्के के नीचे आ गया। गंभीर रुप से घायल हो जाने पर उसे इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम निसदा आरंग निवासी ओम प्रकाश साहू 28 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी का भतीजा कामेश्वर साहू रोज रायपुर से आरंग आना-जाना करता है। 08 अप्रैल को शाम 5.30 बजे महासमुंद बेरियर तेलीबांधा के आगे बस स्टॉप के पास चंद्राकर ट्रेव्लस की बस क्रमांक सीजी 08 एम 0547 का चालक बस में चढ़ते समय अचानक बस आगे बढ़ा दिया। जिसके चलते कामेश्वर साहू बस के चक्के के नीचे दब गया। गंभीर रुप से घायल हो जाने पर उसे नारायणा अस्पताल देवेन्द्रनगर में उपचार के लिये भर्ती किया है। इलाज में व्यस्त रहने की वजह से घटना की शिकायत 15 अप्रैल को थाने में दर्ज करायी है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ धारा 279,337 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

तेज रफ्तार टेंकर घुसी घर में , 1 की मौत 3 घायल

» हादसे के समय परिवार अपने-अपने कमरे में सोये हुआ था

रायपुर (आरएनएस)। तेज रफ्तार टेंकर अनियंत्रित होकर एक मकान में दिवाल तोड़ते हुये घुस गई। जिसके चलते कमरे में सो रहे तीन लोग घायल हो गये तथा एक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मंदिरहसौद थाने में दर्ज करायी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल को सुबह राकेश चतुर्वेदी 50 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 13 अप्रैल को संजय कुमार सिंह मोनेट रोड मंदिर हसौद में स्थित अपने मकान मे सहपरिवार सो रहे थे संजय कुमार सिंह अपने पत्नि सरिता सिंह के साथ बाहर वाले कमरे में तथा इसकी पुत्री कु. सालिनी सिंह, पुत्र हिमांशु सिंह अलग कमरे में सोये हुए थे तभी कि करीबन 1.30 बजे रात्रि को वाहन टेंकर क्रमांक. सीजी 04 एमएफ 9532 का चालक वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर संजय सिंह के मकान को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। इससे मकान पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और संजय सिंह के सिर में तथा सरिता सिंह के पीठ में चोटें आयी है हिमांशु सिंह एवं कुमारी सालिनी सिंह मकान के मलबे मे दब गये थे मलबे से दोनो को बाहर निकाले पर कुमारी सालिनी सिंह के पैर व हाथ में चोट आयी है एवं हिमांशु सिंह 17 वर्ष के हाथ, सीना, पेट एवं शरीर मे अंदरूनी चोट आने से मौके पर मृत्यु हो गया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने टेंकर चालक के खिलाफ मर्ग कायम कर धारा 279,337,304(ए),427 अपराध सदर कायम कर विवेचना मे लिया है।

बीएसपी के रेल मिल विभाग में लगी भीषण आग

भिलाई (आरएनएस)। भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल मिल में भीषण आग लग गई। पुलपिट नंबर 1 में बुधवार की रात भीषण आग लगी। आग की वजह से रेल पटरी का उत्पादन प्रभावित हो गया है। आग लगने का प्रमुख कारण टनल की सफाई नहीं होने को बताया जा रहा है। रोलर्स का ग्रीस, तेल अन्य ज्वलनशील पदार्थ टनल में लगातार गिर रहा था। टनल के ऊपर लगभग 1100 से 1200 डिग्री तापमान में रेल पटरी की ढलाई हो रही थी। ढलाई के समय ही आग लगी। बताया जा रहा है कि पूरा क्षेत्र काफी गर्म होता है।

चिंगारी की वजह से आग तेजी से फैल गई। आग लगने से भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी गई, हालांकि पूर्व से वहां पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां तैनात थीं। बावजूद इसके अन्य स्टेशन से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का मंगाया गया। आग पर काबू पाने के लिए एक घंटे तक दमकलकर्मी मशक?कत करते रहे। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Oxygen in MP

भिलाई स्टील प्लांट से मध्य प्रदेश को रोज मिलेगी 90 टन आक्सीजन

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 14 अप्रैल की रात लगभग 11:45 बजे आग लगी। देखते ही देखते आग पूरी तरह से फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि सबसे पहले वह आग पुलपिट के नीचे रोलिंग स्टैंड के टनल से बढ़ती हुई दिखी और पूरी तरह से पुलपिट को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद वहां के हाइड्रोलिक पाइप लाइन, इलेक्ट्रिकल केबल ओर पुलपिट पूरी तरह जलकर खाक हो गए। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक आग भीषण रूप ले चुकी थी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया। जानकारों के मुताबिक अभी काम चालू होने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग सकते हैं।

नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के फरार पांच आरोपी गिरफ्तार, भिलाई 3-रायपुर सहित प्रदेश के कई थानों दर्ज हैं इनके मामले

मुंगेली (आरएनएस)। जिले के जरहागांव थाना में धोखाधड़ी के मामले में कई महीनों से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुजूर के निर्देश तथा अति.पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी एवं उप पुलिस अधीक्षक साधना सिंह के मार्गदर्शन में जरहागांव थाना प्रभारी राजकुमार साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर फरार आरोपियों की पतासाजी में जुटी और आरोपियों के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम के द्वारा इंदौर मध्यप्रदेश में पहुंचकर आरोपियों की मदद करने वाले अभिषेक राठौर से पूछताछ करने पर आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में 2 माह पूर्व धोखाधड़ी का दर्ज यह मामला सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में जरहागांव पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए फरार 5 आरोपियों को इंदौर मध्यप्रदेश प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 युवक सहित 2 महिलाएं भी शामिल हैं।

अति.पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी ने बताया कि जिले के थाना जरहागांव में 6 जनवरी 2021 को प्रार्थी पीयूष तिवारी के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था कि प्रियंका लहरे, शशि लहरे, शैलेंद्र लहरे जो जरहागांव थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खमरिया के निवासी हैं तथा अतुल राठौर जो कि इंदौर मध्यप्रदेश का निवासी है, के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थी से 3 लाख रुपये नगद एवं प्रार्थी के जानकार दुकानदार से फर्नीचर ले लिए तथा प्रार्थी के द्वारा अपने रुपयों की मांग करने पर लगातार टालमटोल कर रहे। जिसके बाद पीयूष तिवारी द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसी तरह उक्त आरोपियों के द्वारा ही एक अन्य व्यक्ति अभिषेक गाजलवार को वन विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे 1 लाख 20 हजार की राशि लेकर उसे फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उसके साथ भी धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया था। धोखाधड़ी के शिकार अभिषेक गाजलवार द्वारा 27 फरवरी 2021 को थाना जरहागांव आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। दोनों मामलों के दर्ज होते ही सभी आरोपी फरार हो गए थे इस दौरान जरहागांव पुलिस के द्वारा आरोपियों के पतासाजी करते हुए अम्बिकापुर से आरोपियों के मदद करने वाले एक अन्य सहयोगी अनुज गुप्ता को 14 मार्च को गिरफ्तार किया जो कि अभी न्यायिक हिरासत में मुंगेली उप जेल में बंद है।पुलिस ने बताया कि आरोपियों गिरफ्तार करने के बाद जरहागांव पुलिस के द्वारा आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया है। आरोपियों के द्वारा प्रदेश के रायपुर तथा दुर्ग जिले में भी धोखाधड़ी के अन्य मामलों में संलिप्तता रही है जिसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है।

तेन्दुआ की खाल के साथ दो गिरफ्तार

कोण्डागांव (आरएनएस)। जिले की पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति वन्यप्राणी तेन्दुआ का खाल बिक्री हेतु कुम्हारपारा केंवटी जाने के रास्ते पर ग्राहक का इंतजार कर रहे है, पुलिस मौके पर पंहुचकर आरोपी रामेश्वर मरकाम और जैलुराम मरकाम के कब्जे से तेन्दुआ की खाल बरामद कर वन्य प्राणी संरक्षरण अधिनियम 1972 की धारा 09,51 के तहत अपराध क्रमांक 126/2021 पंजीबद्ध किया जाकर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबीर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव के आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में थाना कोण्डागांव एवं सायबर सेल से संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर घेराबंदी कर (1) रामेश्वर मरकाम पिता श्याम लाल मरकाम उम्र 37 साल जाति मुरिया निवासी डडीया पोस्ट मालाकोट थाना व (2) जैलुराम मरकाम पिता स्व. जुमधर मरकाम उम्र 52 वर्ष जाति मुरिया निवासी मालाकोट थाना कोण्डागांव को पकड़कर पूछताछ कर तलाशी ली गई जिनके कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला में रखा एक नग वन्य जीव तेंदुआ का खाल जिसमें काला-भूरा रंग का निशान है, जिसके सिर से पुछ तक की लम्बाई 143 सेमी तथा पेट की चैड़ाई 41 सेमी बरामद किया गया है।

पुत्र ने लकड़ी से वार कर की अपने पिता एवं दादी की हत्या, गिरफ्तार

धतरी (आरएनएस)। थाना मगरलोड चौकी करेली बड़ी अंतर्गत ग्राम चंदना में दिनांक 13/04/2021 की रात्रि 11.30 बजे कलयुगी पुत्र महेश कुमार वर्मा ने अपने घर में पानी पीने के लिए दरवाजा खोलने के लिए बोला, उसकी मां को दरवाजा खोलने में देरी होने की मामूली बात पर अपने पिता, दादी एवं मां से विवाद झगड़ा करने लगा और आवेश में आकर वहीं पड़े लकड़ी के खूंट एवं बक्ता से उनके सिर में प्राणघातक वार कर दिया, जिससे उसकी दादी त्रिवेणी बाई वर्मा एवं पिता पन्ना लाल वर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट पर चौकी करेली बड़ी थाना मगरलोड में आरोपी महेश कुमार वर्मा के विरुद्ध धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

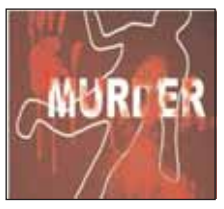

उक्त घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मगरलोड एवं चौकी प्रभारी करेली बड़ी तत्काल ग्राम चंदना पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किए तथा घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पुलिस अधीक्षक श्री बी.पी. राजभानू ने घटनास्थल से भौतिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्रित कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने तथा आरोपी की पता तलाश कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त लकड़ी के खूंट, बक्ता एवं अन्य भौतिक साक्ष्य को एकत्रित करते हुए शव पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव को पीएम हेतु रवाना किया गया। प्रारंभिक विवेचना में ज्ञात हुआ कि आरोपी घटना घटित करने के बाद तत्काल साड़ी पहनकर भाग गया, जिसकी पतासाजी हेतु डॉग स्क्वाड की मदद ली गई।

थाना प्रभारी मगरलोड निरीक्षक प्रणाली वैद्य के नेतृत्व में थाना मगरलोड एवं चौकी करेली बड़ी से संयुक्त टीम गठित कर आस-पास के गांव में आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। आरोपी महेश कुमार वर्मा भागने के लिए जिस रास्ते का उपयोग किया, उसे डॉग के द्वारा पहचान करते हुए भागने के रास्ते में गांव के बाहर के खेत से आरोपी द्वारा छोड़े गए साड़ी को बरामद किया गया। आरोपी की पता तलाश के दौरान अभनपुर के ग्राम सातपारा में आरोपी के छिपने की मुखबिर सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपी महेश कुमार वर्मा को हिरासत में लिया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

कोरोना महामारी से निपटने सामाजिक संगठनों का सहयोग जरूरीः मुख्यमंत्री

» मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न सामाजिक संगठनों से की चर्चा

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर विभिन्न समाज के प्रमुखों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा की। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। सरकार के साथ समाज के जुड़ने से संसाधन कई गुना बढ़ जाता है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सभी समाज के लोगों का सक्रिय सहयोग जरूरी है। उन्होंने वर्तमान में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा

उपलब्ध कराई जा रही सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ज्यादा घातक है। इसका वायरस ज्यादा संक्रमित करने वाला है। इस बार अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। राज्य शासन अपने पूरे संसाधन के साथ इस महामारी से निपटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जरूरी है। उन्होंने समाज प्रमुखों से लोगों को स्वअनुशासित रहने और संक्रमण से बचाव के उपायों का गंभीरता से पालन करने के लिए प्रेरित करने कहा।

बघेल ने कहा कि बचाव ही सुरक्षा है। इसके लिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है। मास्क के उपयोग, शारीरिक दूरी और हाथों की अच्छी साफ-सफाई से संक्रमण से बचा जा सकता है। यदि घर में किसी को लक्षण दिखें तो उसे आइसोलेट करें। उसकी कोरोना जांच करवाएं और रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो एसओपी के मुताबिक पूरा उपचार लें। इलाज में देरी से संक्रमण बढ़ता है और यह जानलेवा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने समाज प्रमुखों को रेमेडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग के बारे में बताया कि यह आईसीयू या वेंटीलेटर में उपचाररत गंभीर मरीजों को दिया जाता है। इसके लिए डॉक्टरों की निगरानी जरूरी है। होम आइसोलेशन और अस्पताल में सामान्य मरीजों के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। अस्पतालों को उनकी जरूरत के मुताबिक रेमेडेसिविर की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी प्रदेश के सात शासकीय और पांच निजी लैबों में आरटीपीसीआर पद्धति से कोरोना सैंपलों की जांच की जा रही है। इस महीने कोरिया, महासमुंद, कांकेर और कोरबा में चार नए लैब शुरू होने से जांच में तेजी आएगी और रिपोर्ट जल्दी मिलेगी।